सत्र 2013-2014

शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला द्वारा महिला एंव बालिकाओं की सुरक्षा एंव संरक्षण हेतु समिति गठित किया गया। जिसके संयोजक एंव सदस्य निम्नानुसार हैं।

संयोजक
श्रीमती निवेदिता मुखर्जी
(सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र)

सदस्यगण
(1) श्री चन्द्र उदय दास मानिकपुरी
(सहायक प्राध्यापक गणित)

(2) डा० (श्रीमती) आलोका तिवारी
सहायक प्राध्यापक हिन्दी

प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला द्वारा महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण समिति ने विषय "महिलाएं एवं अपराध" विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें महा० के छात्र - छात्राये उपस्थित हुए।

महिलाएं परिवार की मुख्य धुरी हैं परन्तु हम देखते हैं कि उसी परिवार से ही उनके ऊपर अपराधिक प्रकरण जुड़ने की शुरुआत होती है जो आगे जाकर समाज, समुदाय, देश एवं राष्ट्रव्यापी प्रकरण तक भी पहुंच जाता है।

इस परिचर्चा के मुख्य वक्ता द्वारा बहुत से सुन्दर ढंग से विषय को रखा। महिलाओं पर अत्याचार कोई नई समस्या नहीं है एवं यह समस्या निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग सभी मे घटित हैं। नशे में आपा खोना, ईर्ष्या, की वजह से चोट पहुंचाना, बलात्कार / दहेजहत्या / भ्रूणहत्या अपहरण, नाबालिक यौनहत्या, अनैतिक देह व्यापार, नारी उत्पीड़न, छेड़छाड़ प्रमुख महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की चर्चा हुई।

विशेष रूप से चर्चा में बताया गया कि अपने प्रति होने वाले अपराधों को सहन न करे सहन करना ही अपराध की निरन्तरता को बढ़ाने में सहायक बन जाते हैं

संयोजक NMukherjee
श्रीमती निवेदिता मुखर्जी

P. [signature]
प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

सदस्य

" महिला एवं संवैधानिक प्रावधान "

शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला द्वारा महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण समिति के द्वारा दिनांक 03/08/2015 दिन सोमवार को " महिला एवं संवैधानिक प्रावधान " विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है जिसमें महाविद्यालय के छात्र- छात्राऐं उपस्थित हुए।

चर्चा के विषय में महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके लिये बनाये गये अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम है, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार होना चाहिए लेकिन देखा जा रहा है इसके बावजूद भी उनके स्थितियों में सुधार नही हो पा रहा है, जहा घरेलू हिंसा की बात करें या दहेज प्रताड़ना की इन सभी हिंसों को रोकने के लिए पर्याप्त कानून बना है लेकिन स्थितियों में सुधार नही हो पाया।

स्वतंत्रता के पश्चात से आज की वर्तमान स्थिति तक विभिन्न अधिनियम, विवाह विच्छेद व तलाक अधिनियम, गर्भपात को चिकित्सा द्वारा मान्यता जैसे प्रमुख सुधारों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति मे पर्याप्त अन्तर आया है, फिर भी बहुत सी कमिया है, जिसके वजह से इन कानूनो का लाभ महिलाए नही उठा पाती।

नि० लि० बिन्दुओं पर विशेष चर्चा हुई -

① पूरे देश मे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधो का विश्लेषण करे तो स्पष्ट है कि अधिकांश

मामले में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाये जाते हैं। चाहे वह पारिवारिक दबाव हो या सामाजिक दबाव जिसके चलते बहुत सी घटनाये परिवार की चार दिवारी में ही सिमट कर रह जाती हैं।

(2) महिलाओं के उत्थान के लिए पर्याप्त कानून एवं अधिनियम है, किन्तु लोगो को विशेषकर महिलाओं को कानूनो एवं अधिकारो का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अतः इन घटनाओं को रोकने के लिए कानून और सरकार के साथ समाज को भी अपनी उचित भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

वाद परिचर्चा के मुख्य वक्ता श्री मति ईश्वरी सूर्यवंशी द्वारा बहुत सुन्दर ढंग से विषय को रखा।

विशेष रूप से चर्चा मे पूरे महिलाओ के सुरक्षा हेतु बनाये गये अधिनियमों एवं कानूनो पर बात हुई जिसमे सरकार एवं समाज दोनो की सहभागिता अति आवश्यक है तथा महिलाओं को अपने हितों की रक्षा करना तथा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना सामाजिक एवं संवैधानिक तरीकों से सीखनी चाहिए।

संयोजक
श्री मति निवेदिता मुखर्जी
(सहा० प्राध्या० समाजशास्त्र)

सहायक ग्रंथ

P. ...
प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

(लैंगिक उत्पीड़न)

" घरेलू हिंसा "

शास० नवीन महाविद्यालय बेरला द्वारा लैंगिक उत्पीड़न समिति की अध्यक्षता में "महिला एवं घरेलू हिंसा" विषय पर दिनांक 20/09/2016 दिन मंगलवार को परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें महाविद्यालय के सभी छात्र - छात्रायें उपस्थित हुए।

चर्चा के विषय में मुख्य वक्ता श्री मति ममता ठाकुर ने बताया कि पारिवारिक समस्याओं में घरेलू हिंसा वर्तमान समाज की प्रमुख समस्या है यद्यपि हिंसा घरेलू हो या अन्य हिंसा हिंसा होती है। घरेलू हिंसा परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति हो सकती है, परन्तु प्रायः पारिवारिक हिंसा का संबंध महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार से है।

भारत सरकार के अन्तर्गत कार्यरत " नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो " प्रतिवर्ष देश में अपराध संबंधी आँकड़ों को प्रकाशित करता है। इस संगठन द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया में स्त्रियों के प्रति अपराधों की सूचि दी गई जिसमें मुख्यतः बलात्कार, अपहरण, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़ यौन शोषण लड़कियों का आयात, अनैतिक व्यापार, नारी का अश्लील प्रदर्शन, विधवाओं पर अत्याचार नारी हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि है।

पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण पुरुष अपनी प्रतिष्ठा शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित करने के लिये स्त्रियों पर अत्याचार करता है। स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता होने के कारण उसे पति के अत्याचार एवं दुर्व्यवहार सहने

पढ़ते है देश मे व्याप्त बाल-विवाह, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव जैसे कुप्रथाओं ने महिला हिंसा को बढ़ाया है।

इस प्रकार घरेलू हिंसा और महिलाओ पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिये सभी महिलाओं को संवैधानिक अधिकारो की जानकारी दी गई। तथा इन संवैधानिक अधिकारो को जानने के लिए सभी को प्रेरित करना हमारा हम सबका कर्तव्य है, तथा सभी को महिलाओ के प्रति सम्मान रखना चाहिए तथा इसकी जानकारी हमको समाज मे फैलानी चाहिए।

विशेष रूप से चर्चा का सार यह था कि सरकार एवं समाज दोनो की सहभागिता घरेलू हिंसा को रोकने मे अति आवश्यक है। तथा महिलाओ के अपने हितो की रक्षा तथा अपनी स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

संयोजक
श्रीमति निवेदिता मुखर्जी
(सहा० प्राध्या० समाजशास्त्र)

प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

(सदस्यगण)

"महिलाओं की दशा व दिशा।"

शासकीय नवीन महाविद्यालय के लैंगिक उत्पीड़न समिति के द्वारा 4.11.2019 को समाजशास्त्र के सहा. प्राध्यापक श्रीमती निवेदिता मुखर्जी ने "महिलाओं की दशा व दिशा" विषय पर चर्चा की।

- गर्भ में कन्या करे पुकार मुझे भी दो जीने का अधिकार।

- मा चाहिये, पत्नी चाहिये, फिर बेटी क्यों नही चाहिये।

विषय की शुरुवात बहुत ही अच्छे से किया गया महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में वैदिक युग में न केवल अच्छी थी अपितु अत्यंत उन्नत भी

उत्तर वैदिक काल से महिलाओ के लिए समस्यायें उत्पन्न होने लगी. वैदिक युग की स्थिति अधिक समय तक स्थिर न रह सकी धर्म सूत्रों मे बाल विवाहों का निर्देश दिया गया। स्मृति युग में उनकी स्थिति और भी गिर गयी उनका जो सम्मान इस युग में होता था केवल मा के रूप में सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाये रखने के लिये स्त्रिओं के संबंधो में नियम और भी कठोर बना दिया विवाह की घटते घटते 8-9 वर्ष रह गयी.

बहुत लंबे समय तक स्त्रियां घर की चारदिवारी अवलंबित रहने वाली रही हैं आम लोगो की नजर में स्त्रिओ की स्थिति की पहचान एक अधीनस्थ प्रतिस्थिति के रूप में की जाती थी।

पाश्चात्य संस्कृति से हमारे संबंध बढ़ने के साथ-साथ भारती महिलाओं में एक नयी चेतना का संचार हुआ। उनके संपर्क प्रगतिशील देशों के नारी आन्दोलनों आदि के साथ सहज ही हो सका।

छापारवाना, यत्तायात और संचार के साथ शिक्षा का विस्तार प्रारंभ हुआ औद्योगिकीकरण और नगरीय संस्कृति के साथ-साथ स्त्रिओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ गये, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ अनेक परम्परागत निर्योग्यताएं अपने आप दूर हो गयी।

शिक्षा का विस्तार, सह शिक्षा पर्दा प्रथा का क्रमिक अन्त नारी और पुरुषों का एक साथ नौकरी करने की सुविधा आदि ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप

प्रेमविवाहों का विस्तार हुआ सहयोग एंव समानता की भावना पनपने लगे और पुरुष स्त्री को दासी न समझकर साथी समझने लगे। स्त्रिओ की स्थिति को उन्नत करने की अनुकूल परिस्थिति बनी।

स्त्रिओं की स्थिति को उन्नत करने में कानून की तरफ से भी काफी बढ़ावा मिला है।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को पास करके बाल विवाहों को रोकने का प्रयत्न कियागया। उसी प्रकार हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 को पास करके स्त्रियों की अनेक विवाहों संबंधी निर्योग्यताओं दूर हुई।

1956 स्त्रिओं को सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने में एंव बिना किसी बंधन के पुरुषों के समान समस्त अधिकार मिला

इन सब कानूनों तथा सुरक्षा एंव सुविधाओं के कारण स्त्रिओ को अपनी स्थिति उन्नत करने में पर्याप्त सरलता हुई।

संयोजक
श्रीमती निवेदितामुखर्जी

प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला के लैंगिक उत्पीड़ समिति के द्वारा छात्र - छात्राओं के लिए दिनांक 19.11.2018 दिन सोमवार को कार्यक्रम हुआ जिसमें चित्रकला / भाषण / कवितापाठ / विचार-व्यक्त स्टाफ एवं छात्र - छात्राओं द्वारा किया गया।

मराठा शासित राज्य की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की राज्यक्रांति में 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई।

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी के नारे कार्यक्रम स्थल पर गूंज उठे।

संयोजक
Mukherjee

[signature]
प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

'लैंगिक असमानता'

नर और नारी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। पढ़ने और सुनने में यह सूक्ति तसल्ली देने वाली है। स्त्री और पुरुष मानव समाज की आधारशिला है। किंतु समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव की लकीर खिंची हुई है। महिलाओं और पुरुषों की असमानता की खाई के पीछे कवायद यह लगाई गई कि आर्थिक निर्भरता ही इसका कारण है। आज इक्कीसवीं सदी में जब महिलाओं आत्मनिर्भर हैं और पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं तब भी स्थिति निराशाजनक है। महिलाएँ घर-परिवार और कार्यस्थल पर दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं। किन्तु न केवल घर में बल्कि कार्यस्थल पर भी पुरुषों के द्वारा ही नहीं महिलाओं द्वारा भी असमान व्यवहार किया जाना यह दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति मानसिकता अभी भी समाज में नहीं बदली है। उच्च अधिकारी महिला/पुरुष द्वारा पुरुषों से अलग व्यवहार और महिलाओं से अलग व्यवहार करना महिलाओं के मनोबल को गिराने वाला प्रतीत होता है। आज हमारे समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि एक महिला को मनुष्य समझे और यह माने कि समाज के विकास में जितना योगदान ~~पुरुष~~ पुरुष का है, उतना ही महिला है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से ही इसकी शुरुआत करे जिससे महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान से वँचित ना होना पड़े। महिलाओं को अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा करने स्वयं को सामने आना होगा जिससे वे समाज में उचित स्थान प्राप्त करके अपने स्वाभिमान व सम्मान की रक्षा कर सकें।

डॉ.आस्था तिवारी

प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

सूचना
लैंगिक उत्पीड़न समिति 2016-17

शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20/09/2016 दिन मंगलवार को लैंगिक उत्पीड़न समिति द्वारा महिला एवं घरेलू हिंसा विषयपरक द्वितीय कार्यशाला आयोजित कि जाती है जिसमें इस महाविद्यालय के प्राध्यापक श्रीमति ममता ठाकुर (वाणिज्य) द्वारा विचार रखा जायेगा आप सभी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

N Mukherjee
संयोजक
श्रीमति निवेदिता मुखर्जी
सहा. प्राध्या. समाजशास्त्र

सदस्य

(1) श्री चंद्रउदयराम मानिकपुरी
(सहा. प्राध्या. गणित)

(2) डॉ. श्रीमति आस्था तिवारी
(सहा. प्राध्या. हिन्दी)

P. [signature]
प्राचार्य
Principal
Govt. Naveen College
Berla, Dist. Bemetara

शा० नवीन महाविद्यालय बेरला

बेमेतरा पुलिस मिशन e-रक्षा

साइबर अपराध, बैंक धोखाधड़ी, चिटफंड धोखाधड़ी

जागरूकता अभियान

कार्यक्रम दिनांक 14.sep. 2016,

अतिथि

① साधिका वैद्य D.S.P. [signature]

② अजय सिंह T.I. [signature] 14/9/16.

③ शशांक सिंह S.I.

Jyati
Janee
Indukumar

स्त्री सशक्तिकरण दिवस

स्त्री सशक्तिकरण दिवस

शा. नवीन महाविद्यालय बेरला, जिला बेमेतरा

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

POCSO ACT

व

साइबर अपराध

पर जागरूकता कार्यक्रम

कार्यक्रम दिनांक - 05-09-2017

वक्ता - श्री मिश्रा

- श्री ध्रुवे (पुलिस विभाग)

Laxmi
Verma
Jyoti

21 वी सदी की महिलायें
बेरला

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

महाविद्यालय का ई मेल : collegeberla2008@gmail.com

वेब साइट : www.govtcollegeberla.in फोन नं. 7825297300, 07825287744

बेरला दिनांक 20/10/2015

सूचना

महाविद्यालयीन समस्त छात्र – छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि भारत सरकार के संयुक्त पहल से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में Gender Champions का चुनाव किया जाना है जिसकी योग्यता निम्नानुसार है –

1. ऐसे छात्र/छात्राएँ जिनकी आयु 16 वर्ष से 24 वर्ष के बीच हो ।
2. महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो ।
3. 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों ।
4. बोलने, लिखने और प्रस्तुतिकरण की क्षमता होनी चाहिए ।
5. नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए ।
6. सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की समझ होनी चाहिए ।

इच्छुक छात्र–छात्राएँ डॉ. श्रीमती आस्था तिवारी से संपर्क करें ।

P. Gaure

(डॉ. प्रेमलता गौरे)
PRINCIPAL
Govt. Naveen College
Berla, Distt.-Bemetara (C.G.)

ANNEXURE – I

School/College/University Name

School/College/University logo

APPLICATION FORM FOR ENGAGEMENT AS GENDER CHAMPION

1. Name (in Block letters) : Divya
2. Sex (Male/Female) : Female
3. Date of Birth (DD/MM/YY) : 30.06.96

Attach valid proof of Date of Birth

4. Parent/Guardian's Name : Mr. Mahendra Kumar ~~Lahari~~
5. Residential Address : Vill. & Post - Anandgaon, Block- Berla Dist. - Bemetara
6. Mobile Number : 9893470658
7. Email Address :
8. Community (SC/ST/General) : SC [Mehar]
9. Educational Qualifications:(Please add additional diploma any other additional qualifications, if any)

[illegible]	Stream/ Discipline	Aggregate Marks (in % only) or Grade of the last exam passed	Name of Board/ University	Year of Passing
12th	-	secound division (61.8%)	C.G. board	2015

10. Computer Skills : yes
11. Languages Known : Hindi, C.G. ,

"Engagement as gender champion"

आखिर क्यों बनाना चाहती हूँ मैं gender champion
आइये जानते हैं मुझ और मेरे विचारो को

मैं इसलिए gender champion बनना चाहती हूँ, क्यो कि मुझे समाज मे लड़कियो के विचारो को प्रकट करने या उनके विचारो को सबके सामने लाने का मौका मिल सके। लड़कियो के अंदर किसी भी बात को लेकर मन मे डर बना लेना जो कि ठीक नही है। मै इस डर को खत्म करके उनको डर का सामना करने के लिए व उनके अधिकारो को उनसे अवगत (रु-बरु) कराना चाहती हूँ।

संस्कारो का सम्मान करना जो की हर व्यक्ति के लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। मै बोलना चाहती हूँ वर्तमान मे कुछ लोग नये विचार धारा की लड़कियाँ या लड़के है जो संस्कारो से मुह फेर लेते है। (जैसे किसी का पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बजाए नमस्ते करते है, या जब कोई हमे कुछ सिखाते है तो हमे वह बाते सीखनी चाहिए क्या पता वही सिख हमारी जरूरत बन जाये, यह ना सोचकर बात को या उस सिख को बकवास बोलके सिखाने वाले को चुप करा देते है उनका मजाक बना देते है)

मै उनको या मै उन सभी लड़कियो को हमारे संस्कारो का महत्व बताना चाहती हूँ। ऐसे कई लड़किया है, जो पढाई को बस महत्व देती

है। व अन्य क्षेत्रो में भाग नही लेती है। उनको उन क्षेत्रो के लिए प्रेरित करना चाहती हुँ ताकि लड़कियाँ भी अपनी खुद की पहचान बना पाये।

लोग लड़कियो के पहनावे से उनके बारे मे अनेक प्रकार की विचार धाराए बना लेते है। जैसे - सुट वाली लड़कियो को यह सोचते है कि इनका संस्कार अच्छा अच्छा है। और वही दुसरी तरफ जिन्स या अलग - अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाली लड़कियो को एक अलग ही नजर से देखा जाता है।

समाज में अच्छाइयाँ तो है पर बुराइयाँ भी है लड़कियाँ अक्सर इन्ही बुराइयो के कारण आगे नही बढ़ पाती है। और अपनी एक अलग पहचान नही बना पाती है। समाज की बुराइयो को नजर अंदाज करके उन लड़कियो को यह बताना चाहती हुँ कि बुराइयाँ तो लोगो के सोच मे होती है। अगर उनके सोच को बदलना है तो हम सभी लड़कियो को स्वतंत्र रूप से निडर होके उन बुराइयो को या लोगो के विचारो हमारी जीत से बदला जा सकता है, लड़कियाँ संवेदनशील होती है, इसलिए वह अपना विचार दूसरो के सामने स्वतंत्र रूप से नही रख पाती है, लड़कियो को स्वतंत्र रूप से समाज के सामने अपना भाव - विचार रखने के लिए उन्हे जागरूक बनाना चाहती हुँ।

"मै अगर Gender champion बन गई तो लड़कियो के हित में काम करूँगी। मेरी यही राय है कि लड़कियाँ अगर अपना अधिकार जानना चाहती है तो मुझे या हमे उन्हे वह अधिकार से अवगत कराना चाहिए।"

ANNEXURE – I

School/College/University Name

School/College/University logo

APPLICATION FORM FOR ENGAGEMENT AS GENDER CHAMPION

1. Name (in Block letters) MONIKA SAHU
2. Sex (Male/Female) Female
3. Date of Birth (DD/MM/YY) 28:04.1996
(Attach valid proof of Date of Birth)
4. Parent/Guardian's Name : Bhagat Ram Sahu
5. Residential Address : vill+Post- Dargaon Teh.-Dhamdha, Dist-Durg (C.G.)
6. Mobile Number : 8463858989
7. Email Address ———
8. Community (SC/ST/General) : O.B.C.
9. Educational Qualifications (Please add additional diploma any other additional qualifications, if any)

Exam	Stream/ Discipline	Aggregate Marks (in % only) or Grade of the last exam passed	Name of Board/ University	Year of Passing
12th	-	81.8 %	C.G.B.of S.E.	2014
B.SC.I		70.83%	PT.R.S.U.	2015.

10. Computer Skills NO
11. Languages Known Hindi

Why do you want to become a Gender Champion (not more than 250 words)?

मैं अपनी आसपास के परिवेश में लड़कियों पर अनेक अत्याचार देखती हूँ। पालक उनकी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है और यदि दुर्भाग्य से वो विधवा हो गयी तो उनके पुर्विवाह पर रोक लगा दिया जाता है। उनको दहेज के नाम पर अनेक यातनायें झेलने पड़ते है और कभी-कभी तो जिंदा जला दी जाती है। लड़कियों को लड़कों से हमेशा पीछा ही रखा जाता है और उन्हे कहीं भी समान अधिकार नहीं दिया जाता है। यदि वो नौकरी या पढ़ाई के लिए गाँव से बाहर निकलना चाहती है तो उसे गाँव घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देते है। इन्हीं सब कारणों के वजह से मैं उनके हित में काम करना चाहती हूँ। इसलिए मैं gender champian ship join करना चाहती हूँ।

Declaration

I hereby declare that the statements made in the application are true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that the action can be taken against me in the event of any of the said information furnished by me being found false or incorrect

मोनिका
Signature of Applicant

ANNEXURE – I

School/College/University Name

School/College/University logo

APPLICATION FORM FOR ENGAGEMENT AS GENDER CHAMPION

1. Name (in Block letters) DURGA SAHU
2. Sex (Male/Female) FEMALE
3. Date of Birth (DD/MM/YY) 30.06.1996
(Attach valid proof of Date of Birth)
4. Parent/Guardian's Name NARAYAN PRASAD SAHU
5. Residential Address VILL.-SANKARA, POST-HASDA TEH.-BERLA, DIST.-BEMETARA(C.G.)
6. Mobile Number 9754344789
7. Email Address
8. Community (SC/ST/General) O.B.C
9. Educational Qualifications (Please add additional diploma any other additional qualifications, if any)

Exam	Stream/ Discipline	Aggregate Marks (in % only) or Grade of the last exam passed	Name of Board/ University	Year of Passing
12th	-	49.6	G.G.B.of S.E.	2014
B.Sc.I		55.83	PT.R.S.U	2015

10. Computer Skills NO
11. Languages Known HINDI

Why do you want to become a Gender Champion (not more than 250 words)?

लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं लेकिन अगर पढ़ाई के कारण यदि गांव से बाहर भेजने की बात आती है तो लोगों की दस्तूर एवं उनके सोच को देखकर पढ़ाई के क्षेत्र में बाहर भेजने से पीछे हट जाते हैं और लड़कियां वहीं की वहीं रह जाती है। परिवार के लोग अपनी परिस्थिति को देखते हुए लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। कई लोग शराब पीकर या मदिरापान कर महिलाओं पर घरेलू हिंसा करते हैं और महिला प्रताड़ित होते रहती हैं लेकिन समाज और लोगों के डर से उसका विरोध नहीं कर पाती। संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार प्राप्त है लेकिन लोगों की सोच की वजह से, आज भी लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही है। लड़कियों के हक में मैं बहुत कुछ बदलाव की अपेक्षा रखती हूँ इसलिए मैं Gender Champion बनना चाहती हूँ।

Declaration

I hereby declare that the statements made in the application are true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that the action can be taken against me in the event of any of the said information furnished by me being found false or incorrect

Sahu
Signature of Applicant